न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत अलावडा)
पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस
मुकदमा नं0 1/126/11

निर्णय दिनांक : 07.06.2018

उनवान

1. अमरजीत सिह पुत्र मीरकौर पुत्री वीरसिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर हाल निवासी 5 डी –21 विष्णु गार्डन एक्सटेंशन नई दिल्ली।

..............................वादी

बनाम

1. ज्ञानकौर पुत्री वीरसिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम अलावडा,
2. शानकौर पुत्री वीरसिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम नौगावां,
3. बलजीतकौर पुत्री वीरसिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम नौगावां,
4. जोगेन्द्रकौर पुत्री वीरसिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम नौगावां,
5. प्रकाश सिंह पुत्र वीरसिंह जाति सिक्ख निवासी एनईबी हाउसिंग बोर्ड कृषि उपज मण्डी के पीछे अलवर।
6. करतारसिंह पुत्र वीरसिंह जाति सिक्ख निवासी पुरानी चुंगी गली नं0 3 अमृतसर, पंजाब
7. जीतकौर पुत्री कुलजीत सिंह पौत्री वीरसिंह जाति सिक्ख निवासी पाटा तह0 रामगढ।
8. सुरेन्द्र कौर पुत्री कुलजीत सिंह पौत्री वीरसिंह निवासी ग्राम बिलासपुर तहसील रामगढ।
9. गुरबचनकौर पत्नी कुलजीत सिंह निवासी ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर।
10. प्रहलाद सिंह पुत्र कुलजीत सिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम अलावडा
11. कुलवन्तकौर पत्नी हरबंश सिंह जाति सिक्ख निवासी रामगढ।
12. जनरेलसिंह पुत्र हरबंश सिंह निवासी रामगढ।
13. अविनाशकौर पुत्री हरबंश सिंह निवासी ग्राम रामगढ।
14. जसप्रीतसिंह पुत्र हरबंश सिंह जाति सिक्ख निवासी रामगढ।
15. गुरूप्रीतसिंह पुत्र हरबंश सिंह जाति सिक्ख निवासी रामगढ।
16. भगवानसिंह पुत्र कुलजीत सिंह जाति सिक्ख निवासी अलावडा।
17. सोहनसिंह पुत्र कुलजीत सिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम अलावडा तहसील रामगढ।

.... असल प्रतिवादीगण

18. रणजीत सिंह पुत्र मीरकौर पत्नी जसवंतसिंह जाति ब्राहम्ण सिक्ख निवासी दशमेश गुरूद्वारा खोलीवाडा मुम्बाई।
19. मनजीत सिंह पुत्र मीरकौर पत्नी जसवंतसिंह निवासी डिग्गी माजरा चण्डीगढ।

...............तरतीबी प्रतिवादीगण

20. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।

...............तकमीली प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 53,88, 89, 188 आरटीएक्ट)

प्रारम्भिक निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 53,88, 89, 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1685 रकबा 1 बीघा 1759 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 1332 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1281 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा मिन व 1921 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, 2925 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 2135 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 417 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा

मिन, 413 मिन रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, 669 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल सैटलमेन्ट में हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 0.25, 202 रकबा 0.39, 419 रकबा 0.28, 1247 रकबा 0.66, 1428 रकबा 0.67, 1755 रकबा 0.59, 1764 रकबा 0.71, 3197 रकबा 0.68, 3208 रकबा 0.52, 3498 रकबा 0.56 हैक्ट0 कुल किता 10 रकबा 5.31 हैक्ट0 कायम हुए है वाके ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी वीरसिंह पुत्र भागसिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर को भूमिहीन होने के कारण पाकिस्तान से आये रिफ्युजी होने के नाते 1947 में सरकार द्वारा अलोट की गई थी और कब्जा दिया गया था तब से वीरसिंह अपने जीवन काल तक इस आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते रहे और उनका स्वर्गवास दिनांक 30.06.83 को हो गया जिसके वारिसान मिन वादी व असल प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण है जो मृतक वीरसिंह के पुत्र पुत्रियां व नवासा व नवासी है, और वीर सिंह के मरने के बाद हम सब शामिल में उपरोक्त आराजी पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है, और अब भी मौके पर सभी का शामलात में कब्जा है और मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादी का विवादित आराजी में 1/9 हिस्सा है। और इस ही प्रकार वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। दिनांक 23.09.2010 को प्रतिवादीगण एक राय होकर हम वादी की विवादित आराजी पर आये और मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के हिस्से कब्जे काश्त में मजाहमत की और कहा कि तुम्हारा विवादित आराजी पर कोई हक नही है पटटा खातेदारी का हमे जारी हो चुका है और अब हम तुम्हे तुम्हारे हिस्से के मुताबिक काश्त नही करने देंगे। और तुम्हें इस आराजी पर से बेदखल कर देंगे। उक्त आराजी अबट काश्त की भूमि है। जिसका अभी तक विधिक बंटवारा नही हुआ है। जिसमें वादी व प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन आपसी पारिवारिक विवाद के कारण वादी व प्रतिवादी के मध्य मनमुटाव पैदा हो गया है। परन्तु कुछ समय से प्रतिवादी के मन में बदयान्ति आ गई है। और वो उक्त आराजी में वादीगण को शान्ति से काश्त नही करने देते है, तथा विवादित आराजी के अच्छे हिस्से पर कब्जा करना चाहते है। तथा विरोध करने पर बिना विधिक बंटवारा किये ही आराजी का बेचान करने की धमकी देते है। तथा वादी को उक्त आराजी से जबरन बेदखल करना चाहते है। विवादित आराजी का आज तक विधिक बंटवारा नही हुआ है। विवादित आराजी में प्रत्येक हिस्सेदार का 1–1 इंच पर अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी का हिस्सा है। आये दिन विवाद की स्थिति पैदा होती है। उक्त

आराजी राजस्व रिकॉर्ड में अबट भूमि है। जिसका आज दिन तक तकासमा नही हुआ है। इसलिए विवादित आराजी का तकासमा कराया जाकर खाता अलग कराया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से तामिल बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नही हुए।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत अलावडा में दिनांक 07.06.. 2018 को पेश हुई। उभयपक्ष को आवाज दिलाई। उभयपक्ष अनुस्थित।

राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत अलावडा में दिनांक 0706.2018 को पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड ग्राम अलावडा का अवलोकन किया। वादीगण का वाद तकसीम आराजी का है। पक्षकार संयुक्त खातेदार है। विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके अनुसार विभाजन प्रस्ताव अच्छी में अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर तकसीम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी इस आश्य के साथ स्वीकार किया जाता है कि हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 0.25, 202 रकबा 0.39, 419 रकबा 0.28, 1247 रकबा 0.66, 1428 रकबा 0.67, 1755 रकबा 0.59, 1764 रकबा 0.71, 3197 रकबा 0.68, 3208 रकबा 0.52, 3498 रकबा 0.56 हैक्ट0 कुल किता 10 रकबा 5.31 हैक्ट0 वाके ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर में वादीगण व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में राजस्व रिकार्ड में हिस्सा अनुसार व मौके के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम कर प्रारम्भिक डिक्री विभाजन अनुसार तहसीलदार रामगढ प्रस्ताव तैयार कर आगामी दिनांक 27.09.2018 से पूर्व भिजवाये। बाद विभाजन वादीगण व प्रतिवादीगण एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत नही करेगे, इस कदर पाबन्द किया जाता है। इसी प्रकार प्रारम्भिक पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत अलावडा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत अलावडा)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1 / 126 / 11 निर्णय दिनांक : 07.06.2018

उनवान

1. अमरजीत सिह पुत्र मीरकौर पुत्री वीरसिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर हाल निवासी 5 डी –21 विष्णु गार्डन एक्सटेंशन नई दिल्ली।
...............................वादी

बनाम

1. ज्ञानकौर पुत्री वीरसिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम अलावडा,
2. शानकौर पुत्री वीरसिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम नौगावां,
3. बलजीतकौर पुत्री वीरसिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम नौगावां,
4. जोगेन्द्रकौर पुत्री वीरसिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम नौगावां,
5. प्रकाश सिंह पुत्र वीरसिंह जाति सिक्ख निवासी एनईबी हाउसिंग बोर्ड कृषि उपज मण्डी के पीछे अलवर।
6. करतारसिंह पुत्र वीरसिंह जाति सिक्ख निवासी पुरानी चुंगी गली नं0 3 अमृतसर, पंजाब
7. जीतकौर पुत्री कुलजीत सिंह पौत्री वीरसिंह जाति सिक्ख निवासी पाटा तह0 रामगढ।
8. सुरेन्द्र कौर पुत्री कुलजीत सिंह पौत्री वीरसिंह निवासी ग्राम बिलासपुर तहसील रामगढ।
9. गुरबचनकौर पत्नी कुलजीत सिंह निवासी ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर।
10. प्रहलाद सिंह पुत्र कुलजीत सिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम अलावडा
11. कुलवन्तकौर पत्नी हरबंश सिंह जाति सिक्ख निवासी रामगढ।
12. जनरेलसिंह पुत्र हरबंश सिंह निवासी रामगढ।
13. अविनाशकौर पुत्री हरबंश सिंह निवासी ग्राम रामगढ।
14. जसप्रीतसिंह पुत्र हरबंश सिंह जाति सिक्ख निवासी रामगढ।
15. गुरूप्रीतसिंह पुत्र हरबंश सिंह जाति सिक्ख निवासी रामगढ।
16. भगवानसिंह पुत्र कुलजीत सिंह जाति सिक्ख निवासी अलावडा।
17. सोहनसिंह पुत्र कुलजीत सिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम अलावडा तहसील रामगढ।
.... असल

प्रतिवादीगण

18. रणजीत सिंह पुत्र मीरकौर पत्नी जसवंतसिंह जाति ब्राहम्ण सिक्ख निवासी दशमेश गुरूद्वारा खोलीवाडा मुम्बाई।
19. मनजीत सिंह पुत्र मीरकौर पत्नी जसवंतसिंह निवासी डिग्गी माजरा चण्डीगढ।
.................तरतीबी प्रतिवादीगण

20. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।
.................तकमीली प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 53,88, 89, 188 आरटीएक्ट)

प्रारम्भिक पर्चा डिक्री

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी इस आशय के साथ स्वीकार किया जाता है कि हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 0.25, 202 रकबा 0.39, 419 रकबा 0.28, 1247

रकबा 0.66, 1428 रकबा 0.67, 1755 रकबा 0.59, 1764 रकबा 0.71, 3197 रकबा 0.68, 3208 रकबा 0.52, 3498 रकबा 0.56 हैक्ट0 कुल किता 10 रकबा 5.31 हैक्ट0 वाके ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर में वादीगण व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में राजस्व रिकार्ड में हिस्सा अनुसार व मौके के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम कर प्रारम्भिक डिक्री विभाजन अनुसार तहसीलदार रामगढ प्रस्ताव तैयार कर आगामी दिनांक 27.09.2018 से पूर्व भिजवाये। बाद विभाजन वादीगण व प्रतिवादीगण एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत नही करेगे, इस कदर पाबन्द किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)